पीसीजी

समक्ष ए.एल. बहरी, जे.

सरवन राम और अन्य,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरनेक सिंह और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल पुनरीक्षण संख्या 1990 का 1849.

31 जुलाई, 1990.

*सिविल प्रक्रिया संहिता,*1908 (1908 का अधिनियम V)—एस. 151, ओ. 41,- आरएल. 11—बार एसोसिएशन का काम बंद करने का सर्वसम्मत संकल्प—वकील का उपस्थित न होना—मामले को वाद सूची में सूचीबद्ध करना—क्या यह सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के समान है।

आयोजित,'कारण सूची' में सुनवाई के लिए मामले को तय करना वकील के लिए पर्याप्त नोटिस है और वकील को अपना मामला पेश करने का अवसर प्रदान करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है। ओ. 41. आरएल. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11, जो अपीलों पर लागू होती है, सुनवाई की तारीख तय करने का प्रावधान करती है और यदि वकील उस तारीख पर उपस्थित होता है, तो उसे सुना जाएगा। वही सिद्धांत वैध रूप से नागरिक संशोधनों पर लागू किया जा सकता है। यदि न्यायालय ने वकील को सुनवाई का अवसर दिया है और वकील अनुपस्थित रहता है तो इसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना माना जा सकता है। ' (पैरा 5)¬

सरवन राम और अन्य बनाम हमेक सिंह और अन्य (ए.एल बाहरी, जे.)

*धारा के अंतर्गत आवेदन*सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में प्रार्थना की गई है कि 11 जुलाई 1990 के एक पक्षीय आदेश को कृपया वापस लिया जाए और उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका को दोबारा सुनवाई के लिए रखा जाए क्योंकि उसमें स्थगन की प्रार्थना की गई है।

याचिकाकर्ताओं के वकील एलएन वर्मा।

प्रलय

(1) 11 जुलाई, 1990 को सिविल रिवीजन खारिज कर दिया गया और निम्नानुसार आदेश पारित किया गया: -

> "लिखित बयान दाखिल करने के समय प्रस्तुत प्रतिदावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। खारिज कर दिया गया।"¬

(2) यह आदेश याचिकाकर्ताओं के वकील की अनुपस्थिति में पारित किया गया। उक्त आदेश को वापस लेने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया गया है। उसमें उल्लिखित आधार संक्षेप में निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं: -

(3) 11 जुलाई, 1990 को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सर्वसम्मत प्रस्ताव के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। याचिकाकर्ताओं के वकील की गैर-उपस्थिति जानबूझकर या जानबूझकर नहीं थी, बल्कि उन परिस्थितियों के कारण थी जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण से परे थीं। पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि सही तथ्य और परिस्थितियाँ न्यायालय के संज्ञान में नहीं लायी जा सकीं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 16 जुलाई,

1990 को सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बार के सदस्य, जिनके मामलों को संबंधित अवधि के दौरान एकपक्षीय रूप से खारिज/निर्णय दिया गया था, एकपक्षीय आदेशों को रद्द करने और एकपक्षीय आदेशों को वापस लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं और कि एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्य उनकी ओर से उपस्थित होंगे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार इसीलिए वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।¬

(4) मैंने श्री एलएन वर्मा को भी योग्यता के आधार पर सुना है।

(5) 'कारण सूची' में सुनवाई के लिए मामले को तय करना वकील के लिए पर्याप्त नोटिस है और नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है - वकील को अपना मामला पेश करने का अवसर प्रदान करने के लिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 11, जो अपीलों पर लागू होता है, सुनवाई की तारीख तय करने का प्रावधान करता है और यदि वकील उस तारीख पर उपस्थित होता है, तो उसे सुना जाएगा।

वही सिद्धांत वैध रूप से नागरिक संशोधनों पर लागू किया जा सकता है। यदि न्यायालय ने वकील को सुनवाई का अवसर दिया है और वकील अनुपस्थित रहता है तो इसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना माना जा सकता है।

(6) इस न्यायालय का काम उन कारणों पर कोई टिप्पणी करना नहीं है जिनके लिए बार एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया था। हालाँकि, तथ्य यह है कि वकील जानबूझकर अदालत से अनुपस्थित रहा और उस स्थिति में उसे उन परिणामों की कल्पना करनी चाहिए जो इसके हो सकते हैं। इस आधार पर कि बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल के आह्वान के कारण वकील अदालत से अनुपस्थित रहे, उस मामले को बहाल करने का आधार नहीं हो सकता, जिसका निपटारा कर दिया गया है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, पुनरीक्षण याचिका का गुण-दोष के आधार पर निपटारा कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, उस आदेश को केवल वकील के उपस्थित न होने के कारण अपील को खारिज करना नहीं माना जा सकता है।¬

(7) गुण-दोष के आधार पर भी, मैंने याचिकाकर्ताओं के वकील को सुना है और उसमें कोई तथ्य नहीं पाया है। वकील द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान के अवलोकन से, मुझे पता चला कि उसमें प्रतिदावा किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम गुरचरण सिंह, (1) में याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह तथ्यों के आधार पर मामले पर बिल्कुल भी लागू नहीं है। उसमें एक लिखित बयान में प्रतिदावे को शामिल करने के लिए संशोधन करने की मांग की गई थी और यह माना गया था कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, प्रतिदावा लिखित बयान में किया गया था, जो संहिता की आवश्यकता भी है। इस तरह के प्रतिदावे को इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसे लिखित बयान दाखिल करने से पहले अलग से दाखिल किया जाना चाहिए था। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हैं और इन तकनीकीताओं के आधार पर न्याय प्रशासन में कोई बाधा नहीं आने वाली है।

(8) ऊपर बताए गए कारणों से, यह आवेदन खारिज किया जाता है.

पीसीजी

(1) 1986 पीएलजे 43।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार, हरियाणा